

तत्काल

दूरभाष:- 24364120
24366794
24368158

संख्या - 6/1/2021-हिंशियो.(मु)/ 120

भारत सरकार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

हिंदी शिक्षण योजना (मुख्यालय)

Government of India

Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

Hindi Teaching Scheme (HQ)

7वां तल, अंत्योदय भवन,

सी जी ओ कांप्लेक्स, लोदी रोड,

नई दिल्ली - 110003

7th Floor, Antyodaya Bhavan,

CGO Complex, Lodi Road,

New Delhi-110003

दिनांक/Dated :

17 JAN 2022

सेवा में

संयुक्त निदेशक / उप निदेशक
(मध्योत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/पूर्वोत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली/चेन्नै/कोलकाता/मुंबई/गुवाहाटी ।

विषय :- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2022-23 हेतु लक्ष्य निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में यह सूचित करना है कि संकाय सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर हिंदी शिक्षण योजना के वर्ष 2022-23 के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं जो कि निम्नानुसार हैं:-

2. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित हिंदी भाषा (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत) तथा हिंदी टंकण के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो सत्र तथा हिंदी आशुलिपि का एक सत्र होता है। वर्ष 2022-23 में हिंदी भाषा प्रशिक्षण का प्रथम सत्र - जुलाई, 2022 से तथा हिंदी टंकण आशुलिपि का प्रथम सत्र - अगस्त, 2022 से प्रारंभ होगा। हिंदी भाषा प्रशिक्षण का दूसरा सत्र जनवरी, 2023 से तथा हिंदी टंकण का दूसरा सत्र - फरवरी, 2023 से प्रारंभ होगा।

क्रा. प्रति

..2/-

...2...

3. वर्ष 2022-23 के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रवार लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं :-

क्षेत्र	निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 2022-23								
	हिंदी भाषा			हिंदी टंकण			हिंदी आशुलिपि		
	पूर्णका.केंद्र	अंशका. केंद्र	योग	पूर्णका.केंद्र	अंशका. केंद्र	योग	पूर्णका.केंद्र	अंशका. केंद्र	योग
मध्योत्तर	2340	---	2340	1300	---	1300	300	----	300
दक्षिण	10660	---	10660	390	---	390	90	----	90
पूर्व	7280	---	7280	260	---	260	60	----	60
पश्चिम	4420	---	4420	390	---	390	90	----	90
पूर्वोत्तर	2080	40	2120	---	---	---	---	----	---
योग	26780	40	26820	2340	---	2340	540	----	540

4 इसके अतिरिक्त गत सत्रों के निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों की समीक्षा में यह देखा गया था कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / उप संस्थानों के कुछ प्रशिक्षण केंद्रों पर गहन हिंदी कक्षाओं में नामांकन/दाखिला निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में निदेशक (संस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 05 सितंबर, 2013 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नामांकन प्राप्त न होने वाले केंद्रों पर तैनात सहायक निदेशक (भाषा) हिंदी शिक्षण योजना की कक्षाओं का संचालन करेंगे। इसके अनुपालन में उप संस्थान चेन्नै के 02, हैदराबाद / सिकंदराबाद के 02 सहायक निदेशक अर्थात् कुल 04 सहायक निदेशक हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से प्रारंभ होने वाले सत्र की कक्षाओं का संचालन करेंगे। उनके लिए भी लक्ष्य उक्त तालिका में निर्धारित किए गए हैं।

5 दर्शाई गई उक्त तालिका में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत की कक्षाओं में प्रति सत्र कम से कम 130 प्रशिक्षार्थी तथा दो सत्रों में प्रतिवर्ष कुल 260 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

6 इसी प्रकार हर सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) को प्रत्येक सत्र में कम से कम 65 तथा दो सत्रों में 130 प्रशिक्षार्थी हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की कक्षा के 30 प्रशिक्षार्थी अर्थात् कुल 160 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

7 वर्ष 2022-23 के लिए हिंदी शिक्षण योजना के पाँचों क्षेत्रों में हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत तथा हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु प्रति छमाही क्षेत्रवार निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :-

...3/-

क्षेत्र	हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि के लिए प्रति छमाही निर्धारित लक्ष्य		
	हिंदी भाषा पूर्णकालिक + अंशकालिक	हिंदी टंकण पूर्णकालिक + अंशकालिक	हिंदी आशुलिपि का लक्ष्य केवल वार्षिक है पूर्णकालिक + अंशकालिक
मध्योत्तर	1170	650	300
दक्षिण	5330	195	90
पूर्व	3640	130	60
पश्चिम	2210	195	90
पूर्वोत्तर	1060	--	---
योग	13410	1170	540

8 उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि सभी कक्षाओं में दाखिला लक्ष्यों के अनुरूप हो। कक्षाओं के गठन के समय इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार कक्षाओं का गठन किया जाए। जिन प्रशिक्षण केंद्रों पर कक्षाओं का नामांकन कम हुआ है, उन कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए सघन प्रयास किए जाएं। प्रयास करने पर भी यदि नामांकन में वृद्धि न हो पाई हो या होने की संभावना न हो तो ऐसे केंद्रों के संबंध में रिपोर्ट भेजते समय उप निदेशक अपना विश्लेषणात्मक अभिमत भी भेजें कि किन कारणों से इन केंद्रों में नामांकन कम हुआ। ऐसे पूर्णकालिक केंद्रों के बदले अंशकालिक केंद्र खोलने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। वर्ष 2022-23 के दोनों सत्रों की उपलब्धि की समीक्षा भी की जाए। अगर लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई है तो उसके कारण ज्ञात कर विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जाए और भविष्य में लक्ष्यों की प्राप्ति के पूर्ण प्रयास किए जाएं। यदि प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो उस प्रशिक्षण केंद्र को अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र में यथाशीघ्र परिवर्तित करने तथा प्राध्यापक को अन्यत्र स्थानान्तरण करने के लिए, जहाँ पर प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त कार्य हो, समुचित प्रस्ताव भेजे जाएं। इसी तरह की समीक्षा हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों के लिए भी अत्यावश्यक है।

9 उल्लेखनीय है कि निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम है। अतः कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि केवल न्यूनतम लक्ष्यों की ही प्राप्ति न की जाए अपितु निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को कक्षाओं में प्रवेश देकर प्रशिक्षण दिया जाए।

10 आपके क्षेत्र में जो पूर्णकालिक या अंशकालिक केंद्र बंद पड़े हैं, उन्हें पुनः चालू करने की संभावनाओं का पता लगाकर यदि संभव हो तो उन्हें पुनः चालू करने की कार्रवाई की जाए। प्रशिक्षण कार्य में गति लाने के लिए उप निदेशक स्वयं समय-समय पर प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण करें और प्राध्यापकों की समस्याओं का समाधान भी निकालें। कक्षाओं का आबंटन इस प्रकार किया जाए कि सभी सहायक निदेशक (भाषा)/सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/हिंदी प्राध्यापकों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो सके।

11 सत्र के प्रारंभ में संपर्क अधिकारियों और विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाना तथा लगातार उनसे संपर्क बनाए रखना कक्षा के गठन कार्य में बहुत उपयोगी होगा। अतः इस दिशा में भी कार्रवाई की जाए।

12 अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा वहाँ पर तैनात अनुदेशकों का मार्गदर्शन भी किया जाए। ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण कार्य अनुभवी सहायक-निदेशकों को सौंपा जाए, जो नियमित रूप से उनको यथोचित दिशा-निर्देश दे सकें।

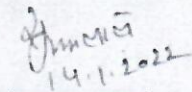
13 कृपया इस बात के भी विशेष प्रयास किए जाएं कि जहां पर पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना संभव न हो वहाँ आवश्यकतानुसार अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की कार्रवाई की जाए।

14 हिंदी आशुलिपि की कक्षा का गठन न हो पाने की स्थिति में हिंदी टंकण की दो अतिरिक्त कक्षाएँ गठित करनी होंगी।

अनुरोध है कि प्रत्येक सत्र में कक्षाओं के गठन के बाद अपने-अपने क्षेत्रों के सभी पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों की नामांकन स्थिति केंद्रवार सहायक निदेशक (भाषा)/सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/हिंदी प्राध्यापक/अंशकालिक प्राध्यापक/अनुदेशकवार प्रथम सत्र की रिपोर्ट दिनांक 10.09.2022 तक तथा द्वितीय सत्र की रिपोर्ट 10.03.2023 तक अवश्य भेजने का कष्ट करें। साथ ही, प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद एक सप्ताह के भीतर मासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। जिन कक्षाओं में कम नामांकन हुआ हो, उन कक्षाओं को अन्य दूसरी कक्षाओं में मिलाने के अनुदेश दें और ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाएं जिससे कि कक्षाओं में नामांकन लक्ष्यों के अनुरूप हो सके। साथ ही, सभी उप निदेशक अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्टें तथा अर्ध वार्षिक प्रगति रिपोर्टें यथासमय मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली में डाटा सही एवं समय पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। प्राइवेट प्रशिक्षार्थियों से संबंधित मासिक रिपोर्ट भी यथा समय भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीया



(सुमन लाल)

प्रभारी निदेशक एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी भवन-II, नई दिल्ली।
2. निदेशक (प्रशासन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी भवन-II, नई दिल्ली।
3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
4. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केहिप्रसं, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
5. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर में तैनात), नई दिल्ली।
6. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
7. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. सहायक निदेशक (भाषा), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।